डिक्री मूल वाद पत्र
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 264 / 2024

भेरा राम पुत्र स्व. धन्नाराम जाति ब्राहमण साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

वादी

ब ना म

1. भंवरलाल पुत्र स्व. धन्नाराम जाति ब्राहमण साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सम्पतलाल पुत्र स्व. धन्नाराम जाति ब्राहमण साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राजेन्द्र पुत्र स्व. धन्नाराम जाति ब्राहमण साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. आशी देवी पुत्री स्व. धन्नाराम जाति ब्राहमण साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. गीता देवी पुत्री स्व. धन्नाराम जाति ब्राहमण साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादी की ओर से श्री हीरालाला बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री बलवीर मोयल व राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा इस वाद मे **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वाद निम्नानुसार घोषणा की जाती है:– चक 38 एनडीआर(टीपी) के खाता संख्या 29 के प.न. 84 / 342 के किला न. 2 / 1 व 3 / 1 कुल .304 है. कमाण्ड में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता स्व. धन्नाराम के नाम संयुक्त खाता में 1 / 2 हिस्सा कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। स्व. धन्नाराम का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज [illegible] किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की [illegible] प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की [illegible] रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम [illegible] नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30-05-25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.09 17:46:39 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़